उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 17 ₹ 20/- 1-15 फरवरी, 2019

सउदी जेल में मस्जिद-ए-नबवी
के इमाम की हत्या की गई ?

अगर कोई इमाम इसी तरह से अमेरिका की जेल में मरता तो सारे इस्लामिक जगत में तूफान मच जाता। इस्लाम दुश्मन अमेरिका पर सारे मुसलमान थूक रहे होते, चीख रहे होते, कोस रहे होते। मगर अब सब खामोश हैं, क्योंकि नबवी मस्जिद के इमाम की मौत सउदी अरब की जेल में हुई है।

-साप्ताहिक नई दुनिया, 4 फरवरी, 2019

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 17
1–15 फरवरी, 2019

परामर्शदाता
प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा
भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए
डी-51, प्रथम तल, हौज खास,
नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित
तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,
नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. अयोध्या की अविवादित भूमि की वापसी के लिए याचिका के खिलाफ उभरे स्वर

II. भारत की आंतरिक राजनीति में अमेरिका की दिलचस्पी

III. कट्टरपंथियों के निशाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का अधिवेशन

IV. दिल्ली में तब्लीगी जमात का विशाल इज्तिमा

V. इस्लाम के प्रसार के लिए मस्जिदों का सहारा

VI. दिल्ली सरकार ने की इमामों की वेतन में वृद्धि

VII. देवबंद बना घुसपैठियों का अड्डा

विश्व

I. पाकिस्तान में हज सब्सिडी पर विवाद

II. फिलीपींस से बना एक नया इस्लामिक राष्ट्र

III. पाकिस्तान में हिन्दू जज!

IV. फिलीपींस में मस्जिद पर हमला

V. इंडोनेशिया भी कट्टरपंथ के राह पर

VI. आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज

VII. आईएसआईएस का एक महीने में हो सकता है अफगानिस्तान से सफाया?

VIII. पाकिस्तान ने उलेमा की रिहाई का फैसला ठुकराया

पश्चिमी एशिया

I. सउदी जेल में मस्जिद-ए-नबवी के इमाम की हत्या की गई?

II. भ्रष्टाचार के आरोप में 126 सउदी कर्मचारी निलंबित

III. शादी के पांच मिनट बाद ही तलाक

IV. बोको हराम के हमले में साठ लोगों की मौत

V. सीरिया में चार अमेरिकी गुप्तचर अधिकारी मरे

VI. लेबनान का नया मंत्रिमंडल

VII. ईरानी पत्रकार रिहा

अन्य

I. 25 हजार करोड़ की संपत्ति शिया बोर्ड को मिली

II. सिमी पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ी

III. अमेरिका और तालिबान में शांति प्रयास सफल

IV. फिलिस्तीनी मंत्रिमंडल का त्यागपत्र

V. आतंकवादी संगठन के तुर्की और ईरान से सम्बन्ध

VI. पाकिस्तान को चीनी कर्ज

सारांश

जिहादी तैयार करने वाली विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री तब्लीगी जमात भारत में अपने पैर बड़ी तेजी से पसार रही है। हाल में ही दिल्ली में इसने एक इज्तिमा का आयोजन किया जिसमें दस लाख लोगों के भाग लेने का दावा किया गया है। इस इज्तिमा में भारत में धर्मांतरण की गतिविधि को तेज करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। पिछले वर्ष देश के विभिन्न भागों में इस तरह के लगभग 160 इज्तिमाओं का आयोजन किया गया था। इन इज्तिमाओं के आयोजन पर अरबों रुपये खर्च किए गए। यह धनराशि कहां से आई इसके बारे में कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तब्लीगी जमात के विभिन्न गुटों के बीच एकता स्थापित करने के जो प्रयास पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए थे उसके क्या परिणाम हुए? इस बारे में सभी पक्षों ने चुप्पी साध रखी है। इसके साथ यह भी उल्लेखनीय है कि सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े शिक्षा संस्थान दारूल उलूम देवबंद और तब्लीगी जमात के बीच मतभेद तेजी से उभर रहे हैं। हाल में ही दारूल उलूम देवबंद परिसर में तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि विश्व भर के मुसलमान इस्लाम के प्रचार व प्रसार के लिए कमर कसकर मैदान में कूद पड़े हैं। इस क्रम में अब भारत में विभिन्न मस्जिदों का सहारा लिया जा रहा है। इन मस्जिदों में गैर-मुस्लिमों को विशेष रूप से निमंत्रण देकर उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि उनका धर्मांतरण किया जा सके। जो लोग हाल में ही दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला में गए होंगे उन्हें वहां बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार जरूर नजर आया होगा।

इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थान मस्जिद-ए-नबवी के इमाम की मौत सउदी अरब की जेल में हो गई है। कहा जाता है कि शाही परिवार का विरोध करने के कारण उन्हें प्रताड़ित करके मौत के घाट उतारा गया है। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने सउदी अरब और इजरायल के बीच बढ़ते मैत्री सम्बन्धों की आलोचना की थी। समाचारपत्रों के अनुसार सउदी जेलों में हजारों मुस्लिम उलेमा और सामाजिक कार्यकर्ता बिना मुकदमा चलाए वर्षो से बंद हैं। साप्ताहिक नई दुनिया ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि अगर कोई इमाम अमेरिकी जेल में मार दिया जाता तो सारे इस्लामी जगत में हंगामा मच जाता। मगर क्योंकि मस्जिद-ए-नबवी के इमाम की हत्या सउदी अरब की जेल में हुई है इसलिए एक भी मुस्लिम संगठन या मुस्लिम नेता में उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई।

पाकिस्तान में भी हज सब्सिडी को समाप्त करने के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। अभी तक पाकिस्तान सरकार हर हज यात्री को 45 हजार रुपये का अनुदान देती थी जिसे अब इमरान सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ क्योंकि वहां के मुस्लिम संगठन मैदान में उतर आए हैं इसलिए सरकार को विवश होकर इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार हज सब्सिडी को बंद करने का फैसला पहले ही कर चुकी है।

भारत सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि की अविवादित भूमि को उसके मालिकों के हवाले करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जो अनुरोध किया है उसका मुस्लिम संगठनों ने जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार ने यह कदम आने वाले चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उठाया है।

राष्ट्रीय

I

अयोध्या की अविवादित भूमि की वापसी के लिए याचिका के खिलाफ उभरे स्वर

हमारा समाज (31 जनवरी) के अनुसार अयोध्या विवाद में राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद से सम्बन्धित भूमि के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार ने जो याचिका दायर की है उसका जमाते इस्लामी के अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने आलोचना की है। उनका कहना है कि यह न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ एक भावनात्मक कदम है। अमीर जमात ने बताया कि पूरी दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद से सम्बन्धित कई केस न्यायालयों में विचाराधीन है। यह परम्परा रही है कि किसी भी मुकदमें के फैसले का इंतेजार किया जाता है और जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय देती है उसे मंजूर किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह बात वास्तव में आश्चर्यजनक है कि भारत की लोकतांत्रिक और सेकुलर हुकूमत राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद के मुकदमें में खुद एक पक्ष बन गई है। ऐसा महसूस होता है कि जनता को न्याय उपलब्ध करवाने की अपनी जिम्मेवारी को नजरअंदाज करके आने वाले चुनाव में वोट हासिल करने के लिए एक वर्ग का तुष्टीकरण किया जा रहा है, ताकि उससे राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। अमीर जमात ने सरकार को यह सलाह दी है कि राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद की अविवादित 67 एकड़ भूमि की मिल्कियत का फैसला होने तक न्यायालय ने इस पर यथास्थिति बनाए रखने का जो आदेश दे रखा है उसके खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। इससे दुनिया भर में भारत की तस्वीर बिगड़ेगी। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखे।

इस संदर्भ में **हमारा समाज** ने 31 जनवरी को एक विशेष सम्पादकीय प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है – 'नया जाल लाए पुराने शिकारी।' समाचारपत्र ने लिखा है कि सरकार ने पौने तीन एकड़ विवादित भूमि को छोड़कर शेष भूमि को उसके मालिकों के हवाले करने के लिए अपने नियंत्रण में लेने की जो अनुमति मांगी है उसका मुस्लिम पक्षकारों ने आलोचना की है। जहां तक विपक्षी पार्टी कांग्रेस का सम्बन्ध है उसने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास तेज कर दिया है। इस याचिका से ऐसा लगता है कि सरकार जो पहले अयोध्या विवाद में हो रही देरी पर परेशान थी अब उसने एक नया राजनीतिक पैतरा बदला है। कई दिन पहले से सरकार को यह चिंता सता रही थी कि राम मंदिर के निर्माण में क्यों अड़चनें डाली जा रही हैं? उसने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर विवाद में जानबूझकर देरी करवा रही है। अब मामला मंदिर के निर्माण का नहीं बल्कि अयोध्या में अविवादित भूमि का है जिसे 1993 में न्यायालय ने अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दिया था। सवाल यह है कि अगर केन्द्र सरकार की यह याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो क्या इस भूमि को उसके मालिकों के हवाले कर दिया जाएगा? क्या यह सच नहीं है कि इस पर अयोध्या के साधु–संतों की आंखें लगी हुई हैं? वे नहीं चाहते कि इसे उसके मालिकों के हवाले किया जाए। हालांकि मुसलमान सरकार के इस कदम को राजनीतिक शोशेबाजी बता रहे हैं। मगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के समर्थकों को इस बात का विश्वास है कि राम मंदिर के निर्माण का राग अलापकर बीजेपी नाराज हिन्दुओं का किसी हद तक समर्थन पाने में सफल हो सकती है। चुनाव से पूर्व इस मुद्दे को उठाना चुनावी खेल ही कहा जा सकता है। हालांकि इस बात की सम्भावना बहुत कम दिखती है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को गरमाकर अंतिम चरणों में कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेलने में सफल हो जाए। जाहिर है कि सरकार अपनी लोकलुभावन योजनाओं को लागू करने में विफल रही है इसलिए वह अगली बार का चुनाव अयोध्या के मुद्दे पर जीतना चाहती है। लोगों की आपत्ति यह है कि इससे पहले बीजेपी को कभी राम मंदिर की याद नहीं आई और पांच साल की अवधि अन्य बातों में जनता को उलझाकर निकाल दी गई। सरकार को इस बात का विश्वास था कि सबका साथ, सबका विकास, सर्जिकल स्ट्राइक, कालेधन की वापसी, अच्छे दिनों का भरोसा, तीन तलाक पर कानून बनाने आदि से वह हिन्दुओं की वाहवाही लूटने में सफल हो जाएगी मगर यह हो नहीं सका। सारी

योजनाएं विफल हो गई हैं। अब मंदिर के सवाल पर याचिका दायर करके जो कार्ड खेला गया है उसका लक्ष्य सिर्फ नाराज हिन्दुओं और साधु–संतों को मनाना है। युवा वर्ग बेरोजगारी के कारण सरकार से पहले ही नाराज चला आ रहा है। ऐसे में क्या मंदिर के नाम पर उसका समर्थन प्राप्त किया जा सकेगा। हमें आशा है कि इस देश के बहुसंख्यक बीजेपी के राजनीतिक पैतरेबाजी का शिकार नहीं होंगे। वे धार्मिक भावनाओं की बजाय सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को सामने रखते हुए वोट डालेंगे।

दैनिक सहाफत ने 31 जनवरी के अपने सम्पादकीय में कहा है कि सरकार ने यह याचिका मंदिर के निर्माण के लिए इच्छुक लोगों के दबाव पर उठाया है। खास बात यह है कि लोकसभा का चुनाव समीप आने पर इस तरह की याचिका दायर की जा रही है। हालांकि यह काम पहले भी किया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा जिस गति से चल रहा है उससे साफ है कि चुनाव से पहले इस मामले में कोई निर्णय होने वाला नहीं है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि अविवादित भूमि राम मंदिर न्यास को वापस कर दी जाए लेकिन हिन्दुओं का एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में सरकार की नियत में खोट है। निर्मोही अखाड़े ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया है। निर्मोही अखाड़े के महंत ने कहा है कि मंदिर बनने से कोई भी कम चीज हमें स्वीकार नहीं होगी। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के कुछ समय बाद ही नरसिम्हा राव सरकार ने 67 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का अध्यादेश जारी किया था जो कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस जगह को यथास्थिति बनाने का निर्देश दिया था। अयोध्या संत समिति का कहना है कि जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता कोई समस्या हल नहीं होगी। अविवादित 67 एकड़ भूमि में से 48 एकड़ भूमि विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) की है जबकि 19 एकड़ भूमि केन्द्र सरकार की है। मुकदमें के एक पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि उन्हें सरकार की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विवादित भूमि पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कर्ताधर्ता जफरयाब जिलानी का कहना है कि इससे साफ है कि सरकार की नीयत खराब है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से यह कहा जाएगा कि वह ऐसी याचिका को स्वीकार न करे। जिलानी का दावा है कि जो भूमि हासिल की जा रही है उसपर एक मंदिर, एक मस्जिद, एक पुस्तकालय और यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था है। सरकार ने जो याचिका दायर की है उसमें कोई नक्शा नहीं लगाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार राम मंदिर के निर्माण के रास्ते पर चल रही है। यह बात सेकुलर मूल्यों के खिलाफ है। इससे देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा।

इंकलाब (1 फरवरी) के अनुसार प्रयागराज धर्म संसद में शंकराचार्य स्वरूपानन्द ने अयोध्या मार्च की जो घोषणा की है उसकी आलोचना करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने कहा है कि ऐसा करने से शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा पैदा हो सकता है। मुसलमान न्यायालय की फैसले को मानने के लिए तैयार हैं और यह मजबूरी भी है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय पर उसे पूरा विश्वास है। इसलिए सबको न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए और हाथों में पत्थर नहीं लेना चाहिए।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने 30 जनवरी के सम्पादकीय में कहा है कि सरकार मंदिर बनाने के लिए कानून क्यों बनाने पर तूली हुई है? चुनाव से तुरंत पहले सरकार ने अविवादित भूमि की वापसी के लिए याचिका क्यों दी है? सवाल यह है कि इतने वर्षो तक सरकार को यह ख्याल क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक अपना स्टैंड क्यों बदल लिया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जबकि बाबरी मस्जिद के दूसरे पक्षकार हाजी महबूब ने कहा है कि यह राजनीतिक खेल है। सरकार देश में दंगे करवाना चाहती है।

इंकलाब (30 जनवरी) ने अपने सम्पादकीय में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद की भूमि को छोड़कर शेष अविवादित भूमि को राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग का विरोध किया है। समाचारपत्र का कहना है कि हमें नहीं लगता की कोई भी मुसलमान अविवादित भूमि पर मंदिर बनाने का विरोध करेगा। मगर फिर भी जब मामला न्यायालय में है और सब न्यायालय के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं तो अब मोदी सरकार ने क्यों नया शोशा छेड़ा

है? पूरे चार वर्ष तक एक बार भी मोदी सरकार को राम मंदिर की याद नहीं आई और अब चुनाव आते ही मंदिर के निर्माण को लेकर बेकरारी शुरू हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू संगठनों ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी सरकार वापस लौटकर नहीं आने वाली है। अभी तक मोदी सरकार ने जो कदम उठाए थे वह कारगर नहीं दिख रहे इसलिए अब राम मंदिर के मुद्दे को पुनः उठाने की कोशिश हो रही है। हालांकि मोदी ने स्वयं ही यह घोषणा की थी कि वे मंदिर निर्माण के मामले में न्यायालय के फैसले के पाबंद रहेंगे। मगर अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और साधुओं के संगठनों की धमकियों से वह डर गई है और उसे ऐसा लगने लगा है कि सत्ता में आने के लिए धार्मिक भावनाओं को उभारना जरूरी है।

इत्तेमाद (30 जनवरी) के अनुसार चुनाव की धमक शुरू होते ही केन्द्र सरकार ने राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत तेज कर दी है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है। ज्ञातव्य है कि राम मंदिर के लिए साधु–संतों और संघ परिवार का दबाव मोदी सरकार पर बढ़ रहा है और इस जमीन का नियंत्रण मिलते ही साधु–संत मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। मोदी सरकार यह खेल इसलिए खेल रही है ताकि राम मंदिर के नाम पर वह हिन्दुओं के वोट प्राप्त कर सके। वैसे अभी तक संघ परिवार राम मंदिर का इस्तेमाल सत्ता में आने के लिए करता आ रहा है।

इंकलाब (2 फरवरी) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि राम मंदिर निर्माण की गुगली मोदी सरकार ने फेंक दी थी जिसका लक्ष्य नाराज साधु–संतों के गुस्से को कम करना था। बाद में वीएचपी और आरएसएस के समर्थक भी इसमें शामिल हो गए। मगर अब हिन्दुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी स्वरुपानन्द महाराज ने खुलेआम अयोध्या कूच का ऐलान कर दिया और वीएचपी की धर्म सभा को फर्जी करार दिया है। अन्य शंकराचार्यों ने भी वीएचपी के कुंभ मेले के आयोजन का बहिष्कार कर दिया और माहौल को देखते हुए पहले दिन ही उसे अपना एजेंडा बदलना पड़ा। संतों की नाराजगी को देखते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा सम्भाला और नाराज धर्मगुरुओं को मनाने के लिए वहां पहुंच गए। वे इस धर्मसभा के अंतिम दिन इसमें शामिल भी हुए। मगर जैसे ही भागवत ने भाषण देना शुरू किया साधु–संतों ने उनपर लॉलीपॉप पेश करने का आरोप लगा दिया। साधु–संतों ने इस बात पर जोर दिया कि राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा? साफ है कि राम मंदिर का निर्माण अब न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस और वीएचपी जैसे संगठनों के लिए भी गले की हड्डी बन गया है।

II

भारत की आंतरिक राजनीति में अमेरिका की दिलचस्पी

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (31 जनवरी, 2019) के अनुसार अमेरिका के गुप्तचर विभाग ने चेतावनी दी है कि भारत में चुनाव से पूर्व साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं। अमेरिकी संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पार्टी हिन्दू राष्ट्रवाद पर जोर देती है तो देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के शासनकाल में बीजेपी की नीतियों के कारण कई राज्यों में साम्प्रदायिक दंगा हुआ है। राज्यों के नेता हिन्दू राष्ट्र अभियान को तेज कर छोटी–मोटी हिंसा भड़काने की ओर इशारा कर सकते हैं ताकि उनके समर्थक उनसे जुड़े रहें। गुप्तचर विभाग के प्रमुख ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि साम्प्रदायिक तनाव के कारण भारतीय मुसलमान स्वयं को अलग–थलग महसूस कर सकते हैं। इससे देश में इस्लामी उग्रवादी संगठनों को अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मई महीने तक भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में भी तनाव पैदा हो सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भारत और अफगानिस्तान में अपनी हिंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ संगठन उन्हीं संगठनों के प्रति सख्त रूख अपना रहे हैं जिनसे पाकिस्तान को सीधे खतरा होने का आभास हो। तालिबान के खिलाफ अमेरिकी सरकार ने जो नीति

अपनाई है वह पाकिस्तान के इस रूख के कारण कारगर सिद्ध नहीं होगी। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भारत, पाकिस्तान और अमेरिकी हित के खिलाफ अपने हमलों को जारी रखने के लिए पाकिस्तान की भूमि का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए इसी समाचारपत्र ने 31 जनवरी के सम्पादकीय में लिखा है कि इस रिपोर्ट को हालांकि विशेष महत्व देने की जरूरत नहीं है। मगर यह जरूर है कि आम चुनाव से पूर्व साम्प्रदायिक ताकतों का ध्रुवीकरण हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकती है। यही कारण है कि उसके कुछ फायरब्रांड नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। अगर उनका उत्तर दिया जाए तो साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। समाचारपत्र ने लिखा है कि अगर भारत की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में भारत में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। भारत के गुप्तचर संगठन, जिनके कंधों पर शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी है उन्हें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। हाल में ही बुलंदशहर में गाय के नाम पर शरारती तत्वों ने एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की जान ले ली और वहां पर दंगे भड़काने का प्रयास किया गया। जबकि उसी समय तब्लीगी इज्तिमा के बाद लाखों मुसलमान वहां से लौट रहे थे। समाज में भय का वातावरण है। गत वर्ष कासगंज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दंगे भड़काने का प्रयास किया गया था। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी परिषद के कुछ युवकों ने ऐसा ही प्रयास किया। अब धर्म संसद ने जो घोषणा की है कि 21 फरवरी से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। संभव है कि अमेरिकी गुप्तचर विभाग को इस बात की सूचना मिली हो कि चुनाव से पूर्व कुछ होने वाला है। इसलिए यह जरूरी है कि इस रिपोर्ट पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए।

इंकलाब (1 फरवरी) ने अपने सम्पादकीय में इस रिपोर्ट पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि अगर दंगे हुए तो बड़ी संख्या में बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। ज्ञातव्य है कि सीआईए के प्रमुख ने हाल में ही भारत का दौरा किया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि बीजेपी शासित राज्यों में साम्प्रदायिक भावना भड़काकर भाजपाई नेता अपने वोट बैंक को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुसलमान अलग-थलग पड़ने के कारण विदेशी आतंकवादियों से सम्बन्ध बढ़ा सकते हैं। समाचारपत्र का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भाषण तो ममता बनर्जी के खिलाफ देते हैं मगर निशाना मुसलमानों को बनाते हैं। एनआरसी की बात की जाती है और मुसलमानों के अलावा सभी को नागरिकता देने की बात कही जाती है। या फिर कर्नाटक का कोई भी बड़ा नेता यह कह देता है कि हिन्दू लड़कियों के साथ दोस्ती करने वाले मुस्लिम लड़कों का हाथ काट देनी चाहिए। राम मंदिर के मामले में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे में क्या इस देश के हालत सामान्य रह सकते हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए बेगुनाह इंसानों के खून बहाने का सिलसिला सदियों पुराना है। इसलिए अगर कोई पार्टी अपनी नीतियों की विफलता को देखते हुए दंगे भड़काकर सत्ता प्राप्त करना चाहे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मगर ऐसे वातावरण में एक नागरिक के नाते हमारा और आपका यह राष्ट्रीय, धार्मिक और मानवीय फर्ज है कि हम दंगा करने वालों के साजिशों को विफल बना दें। इस देश के लोगों को हमेशा नेताओं ने अपने फायदे के लिए लड़ाया है। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच वे लोग भी तनाव पैदा कर रहे हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं बल्कि मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं। साम्प्रदायिकता को पराजित करने के लिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए।

III

कट्टरपंथियों के निशाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का अधिवेशन

हमारा समाज (2 फरवरी) के अनुसार बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रहस्यमयी ढंग से हुआ और मीडिया ने इस कार्यक्रम का पूरी तरह से ब्लैक आउट किया। मजे की बात यह है कि आम चुनाव को देखते हुए इस सम्मेलन का संदेश अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने का प्रयास भी नहीं किया गया। हालांकि केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, रामलाल, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, सैयद शाहनवाज हुसैन, भूपेन्द्र यादव और

के.जे. अल्फोंस ने अल्पसंख्यक सम्बन्धित योजनाओं का खूब गुणगान किया। मगर यह गुणगान ऑडिटोरियम की चहारदीवारों में ही रह गया। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी मीडिया सेल ने जानबूझकर इस सम्मेलन की उपेक्षा की है। इस सम्मेलन का पूरा फोकस अल्पसंख्यकों के कल्याण पर था। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार का यह एजेंडा है कि अल्पसंख्यक ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। छह करोड़ गैस कनेक्शन हो या शौचालय का निर्माण या प्रधानमंत्री आवास योजना इससे अल्पसंख्यकों ने खूब लाभ उठाया है। जबकि कांग्रेस ने धार्मिक और वर्ग के आधार पर सारे देश को बांट दिया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि क्या इस सम्मेलन के भाषणों को इसलिए प्रसारित नहीं किया गया क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज में होने वाले वोटों के ध्रुवीकरण पर उल्टा प्रभाव पड़ता?

हमारा समाज (31 जनवरी) ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय उर्दू संवर्द्धन परिषद के कार्यालय का इस्तेमाल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यालय के तौर पर हो रहा है। इसका कारण यह है कि परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं। मंच की बैठक दिल्ली में हो रही है जिसमें लोगों को निमंत्रण देने और उसे सफल बनाने में पूरा परिषद का स्टाफ लगा हुआ है। कुछ लोगों ने यह बताया कि उन्हें जो फोन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किया जाता है उसमें यह दावा किया जाता है कि हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यालय से बोल रहे हैं। ज्ञातव्य है कि परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. शाहिद अख्तर को बनाया गया है जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक है। क्योंकि वर्तमान कार्यसमिति के अधिकांश पदाधिकारी वहीं से लाए गए हैं इसलिए किसी को उसपर आपत्ति नहीं हो रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इस तरह के असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा उर्दू संवर्द्धन परिषद की जिस कार्यकारिणी का गठन किया गया है उसमें लेखकों, पत्रकारों और उर्दू के चाहने वालों के बजाय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वालों की फौज बैठा दी गई है। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में इस परिषद द्वारा उर्दू का संवर्द्धन कैसे हो सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई सरकारी कार्यालय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच या किसी गैर-सरकारी संस्था के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मंच की जो बैठक हो रही है उसमें अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसा गम्भीर मसला भी शामिल है। मंच ने यह बैठक इसलिए भी बुलाई है ताकि राम मंदिर के निर्माण के लिए माहौल बनाया जा सके। इतना ही नहीं इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि राम मंदिर की निर्माण की आवाज खुद मुसलमानों के अंदर से उठे। इसलिए यह मंच मुस्लिम चिंतकों का ब्रेनवाश कर रहा है। इससे पहले भी इस तरह की बैठकें मंच करता रहा है। बैठक के एजेंडे का समाचार किसी और ने नहीं बल्कि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने दिया है। जब उनसे हमारा समाज ने सम्पर्क किया तो मोहम्मद अफजल का कहना था कि क्योंकि इस देश में राम मंदिर के हवाले से काफी तनाव है इसलिए हम चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोई समझौते का फार्मुला निकले। अब देखने वाली बात यह है कि अगर पिछले 26 वर्षों से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला सरकार हल नहीं कर पाई तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही न्यायालय से बाहर इस समस्या का समाधान हो जाएगा?

IV

दिल्ली में तब्लीगी जमात का विशाल इज्तिमा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (5 फरवरी) के अनुसार दिल्ली में हुए तीन दिवसीय तब्लीगी इज्तिमा में दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार दस लाख लोगों ने भाग लिया। अंतिम दिन के इज्तिमा को तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने संबोधित किया और मुसलमानों से अपील की कि आज जो मुसलमान परेशानियों में उलझे हुए हैं उसका मूल कारण यह है कि वे अल्लाह के फरमान को नहीं मानते। अगर उन्हें परेशानियों से बचना है तो वे अल्लाह के राह पर चलकर दीन का प्रचार करें और

अधिक-से-अधिक लोगों को इस्लाम में दीक्षित करें। उन्होंने कहा कि अब हज पवित्र कार्य नहीं रहा है बल्कि वह पर्यटन बन गया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के प्रचार और प्रसार का विरोध करना इस्लाम का विरोध करना है और तब्लीगी जमात में शामिल होना शरियत का अनुसरण करना है। उन्होंने दुआ करवाई जिसमें देशी और विदेशी लोगों ने भाग लिया। तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन शाही ईदगाह कुरैश नगर में किया गया। मंच पर तब्लीगी जमात, बस्ती निजामुद्दीन औलिया, मस्जिद बंग्लावाली के कई पदाधिकारी जिनमें मौलाना शौकत अली, प्रो. इनामुल हसन आदि का नाम उल्लेखनीय है, उपस्थित थे। इस इज्तिमा में यह भी निर्णय किया गया कि 12 हजार से अधिक लोग पांच-पांच महीने के लिए देश में इस्लाम का प्रसार करेंगे। इसमें इनामुल हसन, अध्यक्ष तब्लीगी जमात, दिल्ली, मौलवी जमशेद अहमद, मौलाना मोहम्मद और युसूफ मोहम्मद ने अपने नाम दर्ज करवाए। दुआ के बाद इस्लाम का प्रचार करनेवाले लोगों की साढ़े पांच सौ पार्टियां और बारह हजार से ज्यादा लोग देश के विभिन्न भागों में यात्रा के लिए निकल गए।

ज्ञातव्य है कि दो महीने पूर्व तब्लीगी जमात की ओर से इस्लाम के प्रचार व धर्मांतरण के अभियान को तेज करने के लिए बुलंदशहर में एक विशाल तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन किया गया था जिसमें 15 लाख लोगों के भाग लेने का दावा किया गया था। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम-से-कम तीन जगहों पर तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन किया गया।

विवाद

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद और तब्लीगी जमात के बीच बढ़ता हुआ तनाव खत्म नहीं हो रहा है। तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने हजरत मूसा के बारे में जो बयान दिया था उसका स्पष्टीकरण करने के लिए दारूल उलूम देवबंद का प्रयास बढ़ रहा है। समाचारपत्र के अनुसार मेरठ से डेढ़ सौ से अधिक लोग बसों में सवार होकर मौलाना मुफ्ती जहीर कासमी के नेतृत्व में देवबंद पहुंचे और उन्होंने दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी और मौलाना मुफ्ती महमूद बुलंद शहरी से मुलाकात की और कहा कि इस बात की चर्चा है कि दारूल उलूम ने मौलाना साद का स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व बांग्लादेशी उलेमाओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी दारूल उलूम देवबंद आया था और उन्होंने इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। मुफ्ती महमूद बुलंद शहरी ने बताया कि अभी तक तब्लीगी जमात के प्रमुख ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और वे पुराने रास्ते पर ही चल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तब्लीगी जमात के अंदरूनी मतभेदों से दारूल उलूम देवबंद का कोई सम्बन्ध नहीं है। ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों बांग्लादेशी उलेमाओं का एक प्रतिनिधिमंडल देवबंद आया था और उसने वहां के अनेक उलेमाओं से मुलाकात की थी। उसके बाद यह चर्चा गर्म हो गई थी कि दारूल उलूम देवबंद ने मौलाना साद का स्पष्टीकरण कबूल कर लिया है।

ज्ञातव्य है कि मौलाना साद ने इज्तिमा को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि सारे इस्लामी जगत को बस्ती निजामुद्दीन अर्थात तब्लीगी जमात से ही सम्पर्क करना चाहिए। यही अल्लाह की ओर से तयशुदा है। तब्लीगी जमात के बारे में गलत सोचना मक्का-मदीना के बारे में गलत सोचना है। मक्का और मदीना के बाद अगर कोई जगह सम्मानजनक है तो वह सिर्फ तब्लीगी जमात का मरकज निजामुद्दीन वाला है। उनके इस दावे को दारूल उलूम देवबंद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इससे सीधे दारूल उलूम के वर्चस्व पर चोट लगती है।

अखबार-ए-मशरिक (18 जनवरी) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख अबूल कासिम नूमानी ने सभी छात्रों को यह निर्देश दिया है कि वे तब्लीगी जमात की गतिविधियों से पूर्ण रूप से अलग रहें। दारूल उलूम देवबंद में तब्लीगी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जो इस निर्देश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करने की भी धमकी दी गई है।

अखबार-ए-मशरिक (19 जनवरी) के अनुसार हाल में ही दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अबुल कासिम नुमानी ने अपने छात्रों को यह निर्देश दिया है कि वे तब्लीगी जमात की गतिविधियों से दूर रहें। उनका समर्थन आल्मी रूहानी तहरीक के प्रमुख मौलाना हसन उल हासमी ने किया है। उन्होंने कहा है कि छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए उन्हें शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। जो लोग इस धार्मिक संस्थान के छात्रों को तब्लीगी जमात में भाग लेने पर जोर देते हैं वे सरासर गलत करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी चिंतकों ने तब्लीगी जमात के दोनों गुटों की एकता का जो फार्मुला पेश किए हैं वे हालांकि अपनी जगह सही हैं लेकिन पाकिस्तान और भारत के इस्लामी चिंतकों को तब्लीगी जमात में सुधार का भी प्रयास करना चाहिए। मौलाना मोहम्मद इल्यास ने तब्लीगी जमात की नींव इसलिए रखी थी ताकि मुसलमान असल में मुसलमान बनें।

V

इस्लाम के प्रसार के लिए मस्जिदों का सहारा

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार इस्लाम का प्रचार व प्रसार करने के लिए देश के अनेक नगरों में स्थित मजिस्दों के दरवाजे गैर-मुस्लिमों के लिए खोल दिए गए हैं। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में यह अभियान जोरों से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गैर-मुस्लिमों में इस्लाम के बारे में प्रचार करना और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना है। समाचारपत्र के अनुसार पुणे के 48 वर्षीय विकास गवली के मन में प्रायः यह ख्याल आता था कि मस्जिद के अंदर क्या होता है? लेकिन वह अपने मुस्लिम दोस्तों से इसके बारे में पूछ नहीं पाता था। इस अभियान के तहत उसने पूणे में एक मस्जिद का दौरा किया और इस्लाम के बारे में वहां कई प्रश्न पूछे, जिनका सविस्तार उत्तर इमामों ने दिया। पूणे में यह अभियान इस्लामिक सूचना केन्द्र द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुंब्रा (मुंबई) की अल कुरान मस्जिद, अहमदाबाद की मस्जिद बिन उमर और हैदराबाद की स्पेनिस मस्जिद सहित कई मस्जिदें गैर-मुस्लिमों को आमंत्रित कर रही हैं, ताकि वे इस्लाम के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें और शांति के दूत इस्लाम की ओर आकर्षित हो सकें।

इस अभियान पर टिप्पणी करते हुए इंकलाब ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि 2015 में ब्रिटेन के मुस्लिमों ने गैर-मुस्लिमों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने के लिए 20 मस्जिदों के दरवाजे गैर-मुस्लिमों के लिए खोल दिए थे। वहां पर उन्होंने 'मेरी मस्जिद में आईए' का अभियान चलाया था और मस्जिदों में आने वाले को इस्लाम से सम्बन्धित साहित्य भी मुफ्त में बांटा जाता था। अब यह अभियान भारत में भी शुरू कर दिया गया है। इससे दोहरा फायदा होगा। एक तो यह कि गैर-मुस्लिम मुस्लिमों की प्रार्थना और आस्थाओं के बारे में जान सकेंगे। भारत में यूं तो मुसलमान एक हजार वर्ष से हैं मगर यहां के गैर-मुस्लिमों में उनके बारे में जानकारी का अभाव है। संपादकीय के लेखक ने लिखा है कि 'मेरे दोस्त ने एक बार मुझसे पूछा था कि अजान में मुसलमान अकबर का नाम क्यों लेते हैं? जब मैंने कहा कि अकबर अल्लाह का एक नाम है तो वह बहुत हैरान हुआ।' मगर हालत यह है कि कई मस्जिदों के बाहर ये बोर्ड लगे हुए हैं कि गैर-मुस्लिमों का प्रवेश निषेध है। जबकि अनेक मस्जिदों पर ऐसे भी बोर्ड लगे दिखाई देते हैं कि देवबंदी, वहाबी, शिया, शुला कुली और अहले हदीस उन मस्जिदों में दाखिल नहीं हो सकते। सवाल यह है कि सभी मस्जिदें मुस्लिमों के लिए खुली होनी चाहिए। संघ परिवार देश के हिन्दुओं को यह कहकर गुमराह करता आ रहा है कि मुस्लिम राजाओं ने हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त किया था। हालांकि यह बात सरासर गलत है। अनेक मुस्लिम राजाओं ने मंदिरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की थी।

VI

दिल्ली सरकार ने की इमामों की वेतन में वृद्धि

हमारा समाज (28 जनवरी) के अनुसार दिल्ली की मस्जिदों के इमामों का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार करने का फैसला किया है। जबकि मोअज्जिनों का वेतन 9 हजार से बढ़ाकर 16 हजार कर दिया गया है। जो मस्जिदें पंजीकृत नहीं हैं उनके इमामों को 14 हजार और मोअज्जिनों को 12 हजार मासिक वेतन दिया जाएगा। रजा एकेडमी के प्रमुख मोहम्मद सईद नूरी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के प्रयासों से देश भर से ज्यादा वेतन दिल्ली में इमामों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 40 दिनों के अंदर वक्फ बोर्ड की आय 6-7 हजार से बढ़कर एक करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड विधवाओं और अनाथों को अधिक धनराशि पेंशन के रूप में दे सकेगा।

हमारा समाज (30 जनवरी) के अनुसार दिल्ली सरकार ने मस्जिदों के इमामों और मोअज्जिनों के वेतन वृद्धि का जो फैसला किया था उसके खटाई में पड़ जाने की सम्भावना है। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश कौशिक ने यह मांग की है कि हिन्दू मंदिरों के पुजारियों को भी वेतन दिया जाए। इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया उचित नहीं है। चन्द्र प्रकाश ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को हिन्दुओं के खिलाफ बताया है और आरोप लगाया है कि दिल्ली में इस्लामी सरकार काम कर रही है।

VII

देवबंद बना घुसपैठियों का अड्डा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (5 फरवरी) के अनुसार देवबंद में अवैद्य रूप से रहनेवाले पांच बांग्लादेशी नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के पुलिस कप्तान दिनेश कुमार ने बताया कि ये गिरफ्तार किए गए लोग अवैद्य रूप से बांग्लादेश से भारत में आए थे और कई वर्षो से देवबंद में रह रहे थे। पकड़े गए लोगों में रफीक उल इस्लाम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मिनहाज, मनीर उज्जमान और मोहम्मद इस्माइल शामिल हैं। मोहम्मद इस्माइल ने पुलिस को बताया कि वह चार-पांच वर्ष पहले भारत आया था और यहां पर टोपियां बेचा करता था। बाद में अन्य लोग आए जो कि विभिन्न काम किया करते थे। इन पांचों से अभी पूछताछ की जा रही है। ज्ञातव्य है कि देवबंद अवैद्य रूप से भारत आनेवाले बांग्लादेशियों का अड्डा बना हुआ है और गत वर्ष दो दर्जन से अधिक व्यक्ति इसी संदर्भ में गिरफ्तार किए गए थे। इनका सम्बन्ध बांग्लादेश में सक्रिय जिहादी संगठनों से पाया गया था। इसमें से कम-से-कम चार लोग मस्जिदों में इमाम बनकर रह रहे थे और देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे।

विश्व

I

पाकिस्तान में हज सब्सिडी पर विवाद

इंकलाब (2 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने हज पर हाजियों को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि नवाज शरीफ सरकार ने हाजियों को 45-45 हजार रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की थी मगर इमरान सरकार ने अब इसे समाप्त करने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के धार्मिक मामलों की मंत्रालय ने प्रत्येक हाजी को 45-45 हजार रुपये सब्सिडी देने की योजना पेश की थी मगर सरकार ने हज के नियम 2019 को स्वीकार करते हुए सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार के सचिव मुश्ताक अहमद ने बताया कि हज पर खर्च बढ़कर एक लाख 56 हजार हो गया है। इसके अतिरिक्त 20 हजार रुपये कुर्बानी के भी देने होंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एक लाख 84 हजार हाजी पाकिस्तान से जाएंगे।

हमारा समाज (2 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हज के खर्चे को दो हिस्से में बांटा जाएगा। उत्तरी जोन में रहने वालों के लिए हज का खर्च 4 लाख 36 हजार रुपये होगा। जबकि दक्षिणी जोन का खर्च 4 लाख 27 हजार रुपये होगा। इस वर्ष अस्सी वर्ष से अधिक आयु के लोगों के अतिरिक्त लगातार तीन बार लॉटरी में सफल न होने वालों को हज पर भिजवाया जाएगा। व्योवृद्ध लोगों के लिए दस हजार का विशेष कोटा निर्धारित किया गया है जबकि कम आमदनी वाले पांच हजार मजदूरों को रियायती दर पर हज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कोटे में 60 फीसदी और निजी टूर ऑपरेटरों का कोटा 40 प्रतिशत होगा। हज नीति के अनुसार कोई भी पाकिस्तानी 5 वर्ष तक पुन: हज यात्रा नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हज में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार विशेष कदम उठा रही है।

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार हज सब्सिडी समाप्त करने के बाद पूरे पाकिस्तान में जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई है उसे देखते हुए पाकिस्तान सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। धार्मिक मामलों के मंत्री नुरुल हक कादरी ने कहा कि इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल में पुनर्विचार किया जाएगा।

II

फिलीपींस से बना एक नया इस्लामिक राष्ट्र

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (27 जनवरी) के अनुसार फिलीपींस में हुए जनमत संग्रह के बाद देश में मुसलमानों के लिए एक अलग स्वशासी राष्ट्र का गठन करने की पुष्टि की गई है। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित होगा। ज्ञातव्य है कि पिछले कई दशक से मुसलमान फिलीपींस में अलग इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में कम-से-कम एक लाख लोग मारे जा चुके हैं। इस जनमत संग्रह के बाद जिहादी उग्रवादी संगठन मोरो इस्लामिक लिब्रेशन फ्रंट ने घोषणा की है कि अब वह एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करेगी। ज्ञातव्य है कि फिलीपींस में इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए 1970 में मुस्लिम विद्रोहियों ने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था। अब तक इस संघर्ष में डेढ़ लाख लोग मारे जा चुके हैं। इस संघर्ष का लक्ष्य मुस्लिम बहुल क्षेत्र मैडोना में स्वतंत्र इस्लामिक राज्य को स्थापित करना है। इस्लामिक लिब्रेशन फ्रंट के प्रमुख मुराद इब्राहिम ने कहा है कि हम सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जनमत संग्रह में 17 लाख लोगों ने अपने मत डाले थे जबकि ढाई लाख लोगों ने इसका विरोध किया था और शेष लोगों ने इसका समर्थन किया था।

दैनिक सहाफत (28 जनवरी) के अनुसार इस फैसले के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हो गई है। फिलीपींस में एक चर्च के बाहर होने वाले दो बम धमाकों में कम-से-कम 27 लोग मारे गए हैं और 77 घायल हुए हैं। यह धमाका फिलीपींस के प्रदेश सोलो में हुआ है। मरने वालों में बीस नागरिक और छह सैनिक शामिल हैं। जबकि घायल होने वाले लोगों में 61 आम नागरिक और चौदह फौजी हैं। इस सारे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। बताया जाता है कि फिलीपींस में ईसाईयों और मुसलमानों के बीच सन् 1970 से गृहयुद्ध चल रहा है। पहला बम गिरजाघर के भीतर फटा जब लोग वहां पर दुआ कर रहे थे। जबकि दूसरा बम धमाका कार पार्किंग में हुआ। अभी तक यह साफ नहीं है कि इस धमाके में किस आतंकवादी संगठन का हाथ है?

III

पाकिस्तान में हिन्दू जज!

इत्तेमाद (30 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान में सुमन कुमारी को पहली हिन्दू महिला जज नियुक्त किया गया है। वह कम्बर शाहदादकोट में कार्यभार सम्भालेंगी। उन्होंने हैदराबाद से एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है और लॉ में ही मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। सुमन कुमारी के पिता नेत्र चिकित्सक हैं। उनकी बड़ी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व राणा भगवानदास कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में दो वर्ष तक कार्य कर चुके हैं।

IV

फिलीपींस में मस्जिद पर हमला

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (31 जनवरी, 2019) के अनुसार फिलीपींस के नगर जांबोआंगा में एक मस्जिद पर दस्ती बम फेंका गया जिससे दो व्यक्ति मारे गए और चार घायल हो गए। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सारे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। सैनिक प्रवक्ता ने कहा कि यह बम कुछ शरारती तत्वों ने फेंका था। इस्लामी उलेमा की काउंसिल ने इस घटना की निंदा की है और देशवासियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक रहें। ज्ञातव्य है कि इसी क्षेत्र में एक चर्च में होने वाले बम धमाकों में 21 लोग मारे गए थे। यह चर्च मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन दोनों धमाकों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। ज्ञातव्य है कि चर्च पर हुए हमले की जिम्मेवारी इस्लामी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली थी। लेकिन सेना का कहना है कि यह हमला आईएसआईएस से जुड़े हुए एक संगठन अबू सैयाफ ने किया है। ज्ञातव्य है कि फिलीपींस की बहुसंख्यक जनसंख्या हालांकि ईसाई है मगर फिर भी वहां पर मुसलमान काफी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। हाल में वहां पर हुए जनमत संग्रह में एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का भी फैसला हो चुका है।

V

इंडोनेशिया भी कट्टरपंथ के राह पर

इंकलाब (2 फरवरी) के अनुसार इंडोनेशिया में सख्त इस्लामी कानून लागू हैं। इंडोनेशिया के बांदा आचेह नामक सूबे में एक किशोर-किशोरी को सार्वजनिक रूप से गले मिलने पर 17-17 कोड़े मारने की सजा एक स्थानीय मस्जिद के बाहर दी गई। इन

दोनों को आपस में गले मिलते हुए पुलिस ने पकड़ा था। इन दोनों की उम्र 17–17 वर्ष की है। जब इन दोनों को कोड़े मारने की सजा दी गई तो उस समय दर्शकों की भारी भीड़ जमा थी। ज्ञातव्य है कि पिछले महीने एक 35 वर्षीय पुरूष को भी कोड़े मारने की सजा दी गई थी जो कि एक स्टोर में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। ये तीनों लोग पिछले कई महीनों से जेलों में बंद थे। इस 40 वर्षीय महिला ने सरकार से मांग की थी कि उसे भी कोड़े मारने की सजा दी जाए ताकि वह जेल से मुक्त हो सके। मगर डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद कहा है कि यह महिला अभी कोड़े सहन करने की स्थिति में नहीं है। इससे दो महीने पूर्व दो पुरूषों को सौ–सौ कोड़े मारे गए थे जो कि किशोर लड़कियों के साथ यौन सम्बन्ध बनाते हुए पाए गए थे। ज्ञातव्य है कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। यहां पर इस्लामी शरई कानून लागू है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यह मांग की थी कि इस्लामी सजा का सिलसिला बंद किया जाए।

VI

आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज

सियासत (30 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने एक ईसाई महिला आसिया बीबी को रसूल का अपमान करने के आरोप से बरी करने को चुनौती देने वाली याचिका रद्द कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि सिर्फ झूठे बयानों के आधार पर किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। याचिकाकर्ता कादरी शालिम ने इस याचिका में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर, 2018 को दिए गए फैसले में उन तथ्यों को सामने नहीं रखा जिसके आधार पर निचली अदालत ने आसिया बीबी को पैगम्बर की तौहीन करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि याचिकाकर्ता कोई ऐसी त्रुटि बताने में विफल रहा है जिसके तहत न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। न्यायालय ने कहा है कि अगर यह इस्लाम के अपमान की बात न होती तो झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पाकिस्तान के कानून में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अगर किसी ऐसे मुकदमें में जिसमें आरोपी को मौत की सजा देने की व्यवस्था हो अगर उसमें गवाह झूठे बयान देते हैं तो न्यायालय ऐसे झूठे गवाहों को उम्रकैद की सजा दे सकती है। याचिका पर सुनवाई शुरू होने से पूर्व याचिकाकर्ता के वकील गुलाम मुस्तफा चौधरी से न्यायालय ने पूछा कि वे सबसे पहले न्यायालय को इस बात के लिए संतुष्ट करें कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय में ऐसी कौन–कौन सी विसंगतियां हैं जिसको आधार बनाकर उन्होंने पुनर्निरीक्षण की याचिका दायर की है? जबकि वकील का कहना था कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है इसलिए इस पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बेंच में और भी जज शामिल होने चाहिए। इनमें विशेष रूप से शरिया कोर्ट का जज भी होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और याचिका रद्द कर दी।

VII

आईएसआईएस का एक महीने में हो सकता है अफगानिस्तान से सफाया?

हमारा समाज (2 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद वे एक महीने में अफगानिस्तान से इस्लामिक स्टेट का खात्मा कर सकते हैं। अफगान–तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने बीबीसी को विशेष इंटरव्यू देते हुए यह आरोप लगाया है कि इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका की सहायता प्राप्त है

और उन्हीं की सहायता से यह संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी जो वार्ता हुई थी उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस चली जाएगी और अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किसी भी दूसरे राष्ट्र के खिलाफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रयास सफल रहते हैं तो हम अफगानिस्तान से भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम अफगान सरकार को एक पक्ष के रूप मे मान्यता नहीं देते। उन्होंने कहा कि अगली वार्ता रूस में होगी। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक सशक्त सरकार हो जिसके सम्बन्ध पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण हो। अगर कोई शांति संधि होती है तो उसकी गारंटी संयुक्त राष्ट्र संघ, रूस, चीन और इस्लामी देश देंगे।

VIII

पाकिस्तान ने उलेमा की रिहाई का फैसला ठुकराया

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने उनके देश में पकड़े गए मुस्लिम धार्मिक उलेमाओं के खिलाफ मुकदमें वापस लेने के लिए भारत के मुस्लिम उलेमाओं द्वारा की गई मांग को ठुकरा दिया है। समाचारपत्र के अनुसार तहरीक–ए–लब्बाईक के प्रमुख खादिम हुसैन रिजवी और अन्य पांच आरोपियों के न्यायिक रिमांड में वृद्धि कर दी गई है। इनके खिलाफ आसिया बीबी की रिहाई के विरोध में शुरू किए गए आंदोलन में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। खादिम हुसैन रिजवी की पेशी के मौके पर सरकार ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये थे। ज्ञातव्य है कि आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में हुए उग्र प्रदर्शनों के सिलसिले में सैंकड़ों मुस्लिम धार्मिक नेताओं को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर रखा है।

पश्चिमी एशिया

I

सउदी जेल में मस्जिद-ए-नबवी के इमाम की हत्या की गई?

साप्ताहिक नई दुनिया (4 फरवरी) के अनुसार सउदी अरब में क्या हो रहा है यह कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के दूसरे सबसे पवित्र स्थान मस्जिद-ए-नबवी का इमाम सउदी जेल में दम तोड़ गया है। वे किस जुर्म में जेल में बंद थे? क्या उनकी हत्या कर दी गई है? इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई इमाम इसी तरह से अमेरिका की जेल में मरता तो सारे इस्लामिक जगत में तूफान मच जाता। इस्लाम दुश्मन अमेरिका पर सारे मुसलमान थूक रहे होते, चीख रहे होते, कोस रहे होते। मगर अब सब खामोश हैं, क्योंकि नबवी मस्जिद के इमाम की मौत सउदी अरब की जेल में हुई है। उस जेल में उन लोगों को रखा जाता है जो वहां के शासक परिवार की मर्जी और पसंद के खिलाफ जुबान खोलते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। शाही परिवार हमेशा ही अपने विरोधियों को सदा के लिए खामोश करता रहा है। इसका ताजा उदाहरण पत्रकार जमाल खशोग्गी का कत्ल है। अब इस सूची में एक नया नाम जुड़ गया है जो कि इमाम शेख अहमद अल-अमारी का है जो पांच महीने पूर्व रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे। फिर यह चर्चा सूनी गई कि वे जेल में हैं। मगर सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। अब उनकी मौत ने उन्हें इस दुनिया से ही विदा कर दिया है। इस्लाम के महान विद्वान इस इमाम का कसूर यह था कि वे सउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान की नीतियों के खिलाफ थे जोकि अमेरिका को खूश करने पर तूले हुए हैं। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने युवराज के साथ अपने मतभेदों को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया था और इजरायल के साथ सउदी अरब के बढ़ते रिश्तों पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी।

सउदी अरब में शाही परिवार ने हमेशा अपने विरोधियों को हर हथकंडे से चुप करवाया है। धार्मिक उलेमाओं और चिंतकों को जेलों में डाल दिया जाता है। जिनका भाग्य अच्छा होता है वे देश से भाग जाते हैं। मगर फिर भी वे बच नहीं पाते। इसका ताजा उदाहरण विख्यात पत्रकार जमाल खशोग्गी हैं। इमाम अल-अमारी जामिया इस्लामिया मदीना में कुरान कॉलेज के पूर्व प्रमुख थे और प्रताड़ना के कारण उन्होंने जेल में दम तोड़ दिया है। सउदी अरब में जनाक्रोश और राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। जो कोई आवाज उठाता है उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। शेख अहमद अल-अमारी कोई मामूली कैदी नहीं थे। इनके साथ जेल में क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इस 69 वर्षीय बुजूर्ग को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उनका ब्रेन हैमब्रेज हो गया। लंदन स्थित संगठन अलकिश्त के निदेशक अह्या असीरी के अनुसार अल-अमारी को उनके घर से उनके सहयोगी और विख्यात इस्लामिक स्कॉलर सफर अल-हवाली के साथ गिरफ्तार किया गया था। ज्ञातव्य है कि 68 वर्षीय अल-हवाली ने अपने एक पुस्तक में सउदी युवराज और शाही परिवार के लोगों को इजरायल के साथ संबंध बढ़ाने पर आलोचना का निशाना बनाया था।

समाचारपत्र ने लिखा है कि इससे पूर्व शाह फहद के शासनकाल में मुस्लिम उलेमाओं का एक ग्रुप बनाया गया था जो कि सरकार द्वारा इस्लाम विरोधी किसी भी कार्रवाई करने पर उसे सख्त शब्दों में टोकता था। इस समय सउदी के धार्मिक मुस्लिम उलेमा दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट युवराज मोहम्मद सलमान की क्रांतिकारी नीतियों के खिलाफ है। उनका कहना है कि इससे सउदी समाज तबाह व बर्बाद हो जाएगा। मगर सउदी अरब के सत्तारूढ़ टोले को इस विरोध का कोई परवाह नहीं। विशेष बात यह है कि जो सउदी धार्मिक उलेमा युवराज के समर्थक समझे जाते हैं वे भी चुप नहीं रह सके। काबा के इमाम शेख अब्दुल रहमान अल-सुदैस का कहना है कि सउदी अरब में आधुनिकता के रास्ते पर चलने का जो प्रयास किया जा रहा है वह सफल नहीं हो पाएगा और उसे विफलता का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें सउदी अरब के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं। मगर इन साजिशों के बावजूद हम अपने रास्ते पर अग्रसर रहेंगे और सउदी जनता और अल्लाह के हुक्म से ऐसी साजिशों को विफल कर देंगे।

ज्ञातव्य है कि 2017 में सउदी अरब में युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत अपने विरोधियों का सफाया करना शुरू कर दिया था और इस अभियान में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें शाही परिवार, देश के प्रमुख पत्रकार, बुद्धिजीवी और धार्मिक नेता भी शामिल थे। सरकार द्वारा हर बार यही दावा किया जाता है कि जिनलोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके विदेशों से तार जुड़े हुए हैं और वे सउदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। वे देश में दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इन दिनों सउदी अरब में युवराज का सिक्का चल रहा है। हालांकि वे राजा नहीं है मगर चलती उन्हीं की है। क्योंकि उनके पिता शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आमतौर पर बीमार रहते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान संयुक्त अरब अमीरात के शासक मोहम्मद बिन जायद के साथ मिलकर अमेरिका के सहयोग से सउदी अरब का शासक बनने का स्वपन देख रहे हैं। बताया जाता है कि उनके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से गहरे सम्बन्ध हैं। ट्रम्प के चुनाव प्रचार में शाह सलमान ने भारी मात्रा में आर्थिक सहायता दी थी।

II

भ्रष्टाचार के आरोप में 126 सउदी कर्मचारी निलंबित

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (31 जनवरी, 2019) के अनुसार सउदी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में 126 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। ये नगरपालिकाओं में काम करते थे। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है। जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है उनका सम्बन्ध जद्दा, रियाद, मक्का, अलहसा, अल-ज़ौफ आदि से बताया जाता है।

III

शादी के पांच मिनट बाद ही तलाक

इंकलाब (2 फरवरी) के अनुसार कुवैत में एक नई-नवेली दुल्हन ने निकाह के पांच मिनट के अंदर ही अपने पति से तलाक ले लिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पति ने उसे बेवकूफ कह दिया था। बताया जाता है कि जब यह महिला अपने पति के साथ मैरिज कोर्ट जा रही थी तो वह अपना संतुलन खो गई इस पर उसके पति ने उसे मुर्ख कह दिया। दुल्हन ने मैरिज सट्रिफिकेट पर हस्ताक्षर करने से पहले ही तलाक की दर्खास्त दे दी। कुवैत में हाल के वर्षो में सबसे कम टिक पाने वाला यह निकाह है जो कि केवल पांच मिनट ही रह सका।

IV

बोको हराम के हमले में साठ लोगों की मौत

सहाफत (3 फरवरी) के अनुसार नाइजीरिया में उग्रवादी इस्लामिक संगठन बोको हराम के हमले में कम-से-कम साठ लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। यह हमला उत्तरी क्षेत्र में किया गया जहां पर कुछ दिन पूर्व आतंकियों ने आठ सरकारी फौजियों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस क्षेत्र में सरकारी सेनाओं और बोको हराम के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। अब तक इस संघर्ष में पांच सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 30 हजार लोग बेघर हुए हैं।

V
सीरिया में चार अमेरिकी गुप्तचर अधिकारी मरे

सहाफत (20 जनवरी) के अनुसार सीरिया में एक आत्मघाती हमले में अमेरिका के गुप्तचर विभाग के चार उच्चाधिकारी मारे गए हैं। ये चारों एक विशेष मिशन पर सीरिया में मौजूद थे। इनका सम्बन्ध अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी स्थल सेना से था। अमेरिकी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। मगर यह जरूर कहा है कि चार अमेरिकी नागरिक एक आत्मघाती हमले में मारे गए हैं और तीन घायल हुए हैं।

VI
लेबनान का नया मंत्रिमंडल

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (2 फरवरी) के अनुसार लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने एक फरमान द्वारा 30 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल की पुष्टि की है। यह मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री साद अल हरीरी के नेतृत्व में बनाया गया है और इसमें ईरान समर्थक जिहादी गुट हिज़्बुल्लाह के तीन मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इन मंत्रियों में जमील जबाक, जेबरान बासिल और रया अल-हसन शामिल हैं। इन्हें क्रमश: स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृहमंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले नौ महीने से सत्तारूढ़ गठबंधन में आपसी मतभेद चल रहे हैं। हरीरी के नेतृत्व वाली यह तीसरी सरकार है जिसने व्यापक पैमाने पर आर्थिक सुधार किए हैं ताकि लेबनान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके। लेबनान के एक राजनीतिक पार्टी अल अबनान के अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी पार्टी नई सरकार के साथ सहयोग करेगी। नए मंत्रिमंडल में घस्सान हसबानी को उपप्रधानमंत्री के रूप में शामिल किया गया है।

VII
ईरानी पत्रकार रिहा

इत्तेमाद (26 जनवरी) के अनुसार ईरान की पत्रकार मरज़ीह हाशमी को रिहा कर दिया गया है। अमेरिका में पैदा होनेवाली इस ईरानी महिला पत्रकार को दस दिन पूर्व हिरासत में लिया गया था। सरकारी बयान के अनुसार कुछ मामलों में उससे गवाही ली गई है। इसके बाद अमेरिकी डिस्ट्रिक कोर्ट के जज ने इनके रिहाई के आदेश जारी किए हैं। ज्ञातव्य है कि हाशमी के गिरफ्तार किए जाने के कारण अमेरिका और ईरान में काफी तनाव उत्पन्न हो गया था। हाशमी के परिवारजनों का कहना है कि अमेरिका को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी मुसलमान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमेरिकी कानून के अनुसार यदि कोई महत्वपूर्ण गवाह होता है तो सुरक्षा की दृष्टि से उसे पुलिस हिरासत में ले सकती है। अमेरिकी सरकार ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि इस महिला पत्रकार की गवाही किस सिलसिले में ली गई है?

अन्य

I

25 हजार करोड़ की संपत्ति शिया बोर्ड को मिली

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (25 जनवरी) के अनुसार बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया है कि वह वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए जो अभियान चला रहा है उससे वक्फ संपत्तियों में भारी वृद्धि हुई है। गत सप्ताह पटना उच्च न्यायालय ने हसन इमाम वक्फ स्टेट विवाद का फैसला सुनाते हुए 25 हजार करोड़ मूल्य की संपत्ति वक्फ बोर्ड को सौंपी है। बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आजाद ने संवाददाताओं को बताया कि पटना के डाक बंगला चौराहा पर स्थित अनेक संपत्तियों को सन् 1925 में हसन इमाम ने वक्फ सम्पत्ति घोषित किया था। सन् 1931 में सारी संपत्ति को पंजीकृत करवा दिया गया। आजाद के अनुसार हसन इमाम की दो पत्नियां थी। उन्होंने अपनी दूसरी बीबी को इसका मतवली बनाया था जिसको पहली पत्नी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अब उच्च न्यायालय ने पहली पत्नी को दस प्रतिशत और दूसरी को छह प्रतिशत आय का हकदार बताया है। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां 1948 के वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हैं। 1993 से उच्च न्यायालय में यह विवाद चल रहा था। अब उच्च न्यायालय ने इन सारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है। आजाद ने दावा किया है कि यह संपत्ति फ्रेजर रोड, जमाल रोड, एसपी वर्मा रोड और बंदर बगीचा में स्थित है। इस पर अनेक मॉल, होटल और अन्य भवन बने हुए हैं जो कि अवैध हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने पटना के जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि वे एक सप्ताह के भीतर इन संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाकर उन्हें बोर्ड के हवाले करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड इस बात का प्रयास कर रहा है कि जिनलोगों ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। हाल में ही मुजफ्फरपुर में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले 29 लोगों को जेल जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पटना में तीन स्थानों पर वक्फ जमीन पर भवनों का निर्माण चल रहा है। इससे जो आय होगी उसे बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें से सेंट्रल मॉल नामक भवन के मालिक एक विधायक थे जिनके कब्जे को वहां से हटाया जा रहा है।

II

सिमी पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ी

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार भारत सरकार ने स्टुडेंट इस्लामिक मुवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगाए गए प्रतिबंध का आठवीं बार विस्तार कर दिया है। ज्ञातव्य है कि 27 सितम्बर, 2001 को तात्कालीन एनडीए की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध दो वर्ष के लिए लगाया गया था। इसके बाद कांग्रेस भी इस प्रतिबंध में विस्तार करती रही। फरवरी 2014 को कांग्रेस ने पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। अब बीजेपी की सरकार ने इसमें और 5 वर्ष वृद्धि कर दी है। सिमी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. शाहिद बदर फलाही ने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद उन्हें और उनके सहयोगियों को दिल्ली के जाकिर नगर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जब भी सरकार किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाती है तो इस मामले को एक जज के हवाले किया जाता है जिसके सामने संगठन से सम्बन्धित लोग अपना दृष्टिकोण पेश करते हैं जिसका विश्लेषण

करने के बाद ही जज प्रतिबंध की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि सिमी ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यह मामला वहां पर अभी विचाराधीन है और कोई निर्णय अभी तक नहीं हो सका है।

III

अमेरिका और तालिबान में शांति प्रयास सफल

सहाफत (28 जनवरी) के अनुसार कतर में अफगान-तालिबान और अमेरिकी सरकार के बीच चल रही शांति वार्ता का पहला चरण सफल हो गया है। 17 साल के बाद अफगानिस्तान में युद्धबंदी और वहां से विदेशी सेनाओं की वापसी के बारे में समझौता हुआ है। ज्ञातव्य है कि कतर में इन दोनों पक्षों के बीच पिछले छह दिनों से शांति वार्ता चल रही थी। इस वार्ता के अनुसार डेढ़ साल के अंदर अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान खाली कर देंगी। जबकि तालिबान ने यह स्वीकार किया है कि वह अफगानिस्तान की भूमि को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे और न ही इस्लामिक स्टेट को इस क्षेत्र में अपनी कदम जमाने देंगे।

IV

फिलिस्तीनी मंत्रिमंडल का त्यागपत्र

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (30 जनवरी) के अनुसार फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री रामी हामदुल्लाह की सरकार ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महमूद अब्बास को पेश कर दिया है। राष्ट्रपति ने इस त्यागपत्र पर कोई टिप्पणी नहीं की है और उन्होंने नई व्यवस्था होने तक पुरानी सरकार को ही कार्यकारी रूप में कार्य करने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि दो दिन पूर्व राष्ट्रपति की पार्टी फतह ने यह घोषणा की थी कि हम सरकार को बदलना चाहते हैं। फतह नामक पार्टी के इस फैसले का हमास ने विरोध किया था। फिलिस्तीन के वर्तमान प्रधानमंत्री कोई राजनीतिज्ञ नहीं है बल्कि वे शिक्षाविद् हैं और उनके नेतृत्व में 2014 में राष्ट्रीय एकता की सरकार सत्ता में आई थी। उन्होंने गाजा पट्टी के शासकों से समझौते का प्रयास किया था। हमास और फतह के बीच दो वर्ष पूर्व एक समझौता हुआ था जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी की थी। मगर बाद में दोनों पार्टियों में मतभेद पैदा हो गए।

V

आतंकवादी संगठन के तुर्की और ईरान से सम्बन्ध

इत्तेमाद (26 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान स्थित एबटाबाद में तालिबान के नेता ओसामा बिन लादेन के घर से जो दस्तावेजें मिली थीं उसके अनुसार लीबिया की एक जिहादी संगठन को तुर्की सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है और उसके कुछ केन्द्र

तुर्की में भी हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार अल सादिक नामक इस्लामी जिहादी संगठन के सम्बन्ध तुर्की और ईरान दोनों से पाए गए हैं। तेहरान में अलकायदा के एक कमांडर ने यह बताया था कि लीबिया के इस संगठन का सम्बन्ध ईरान के साथ है। यह संगठन ईरानी सरकार और लीबिया सरकार के साथ तनाव का लाभ उठाना चाहती थी। मगर इसके कुछ नेता इसके खिलाफ थे।

VI

पाकिस्तान को चीनी कर्ज

रोजनाम राष्ट्रीय सहारा (3 फरवरी) के अनुसार चीन ने पाकिस्तान के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उसे ढाई अरब डॉलर कर्ज देने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 18 अरब डॉलर पर आ गया है जो कि अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वर्ल्ड बैंक की दृष्टि से न्यूनतम है। इसलिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में चीन ने पाकिस्तान को ढाई अरब डॉलर की धनराशि दी है। इससे पाकिस्तान द्वारा चीन को दी जाने वाली धनराशि बढ़कर साढ़े चार अरब तक पहुंच जाएगी।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

Latest Publications

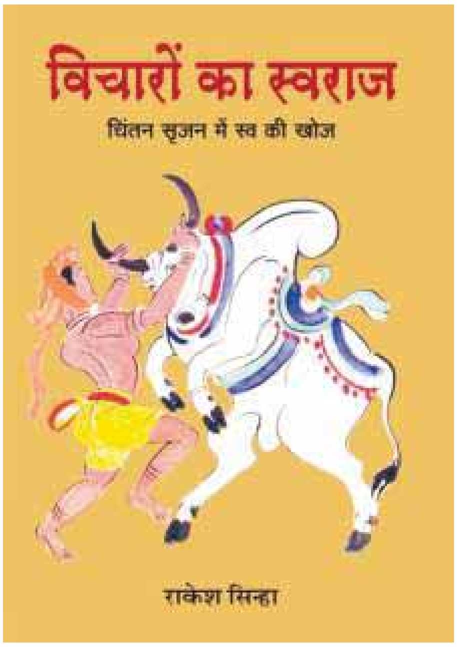

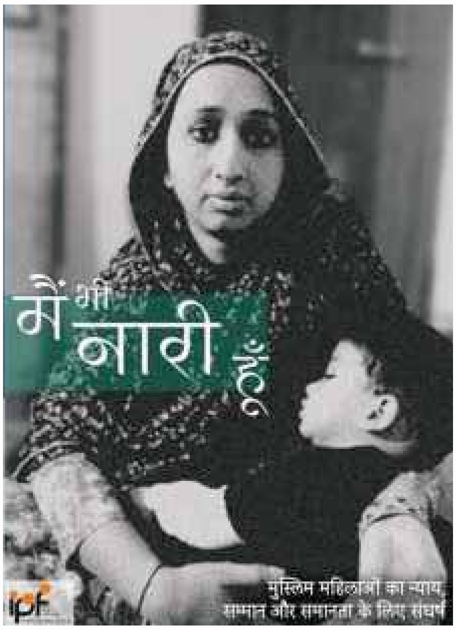

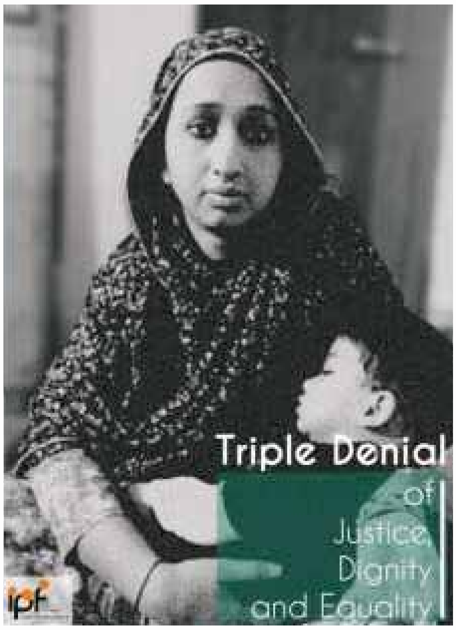

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org